

प्रेषक,

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड

पत्रांक: उ०वि०शि०प०/शोध/अंक विभा०-प्रति०व्य०/ 238-247/2022-23 दिनांक 12 सित०, 2022
विषय: हाईस्कूल एवम् इण्टरमीडिएट स्तर पर विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में नवीन प्रतिस्थापित व्यवस्था, गृह व परिषदीय परीक्षाफल निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप अवगत हैं कि माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या: 512/XXIV-4/2022-01(01) 2016 T.C. दिनांक 05 जुलाई, 2022 द्वारा हाईस्कूल एवम् इण्टरमीडिएट स्तर पर प्रयोगात्मक व आन्तरिक मूल्यांकन वाले विषयों के अलावा अन्य समस्त विषयों में भी सैद्धान्तिक भाग के साथ-साथ आन्तरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट/प्रयोगात्मक भाग का प्रावधान कर दिया गया है तथा इण्टरमीडिएट स्तर पर प्रयोगात्मक विषयों के प्रयोगात्मक भाग के निर्धारित अंकों का बाह्य व आन्तरिक परीक्षक के मध्य 50-50 प्रतिशत अंकों का विभाजन कर दिया गया है। उक्त प्रतिस्थापित व्यवस्था कक्षा 9, 10, 11 व 12 सभी कक्षाओं की परीक्षाओं (गृह व परिषदीय) में वर्तमान सत्र 2022-23 में ही तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के निर्गत संलग्न पत्रांक: उ०वि०शि०प०/शोध/हाई०-अंक विभा०/204-213/2022-23 दिनांक 23 अगस्त, 2022 व पत्रांक: उ०वि०शि०प०/शोध/इण्टर-अंक विभा०/214-223/2022-23 दिनांक 23 अगस्त, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से क्रमशः हाईस्कूल एवम् इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रम से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी तथा दिशानिर्देश आपको पूर्व में उपलब्ध कराये जा चुके हैं। साथ ही हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रम की पृथक-पृथक विस्तृत जानकारी तथा दिशानिर्देश परिषद् की वेबसाइट पर भी अपलोड किये गये थे। विभिन्न विषयाध्यापकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर आंशिक संशोधनोपरान्त उक्त समस्त जानकारी परिषद् की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in के CCE CORNER लिंक पर पुनः प्रसारित की जा रही है।

इस सम्बन्ध में किसी भी पृच्छा हेतु परिषद् के निम्नांकित शोध अधिकारियों/प्रवक्ताओं से सम्पर्क किया जा सकता है-

- डा० नन्दन सिंह बिष्ट, शोध अधिकारी/प्रवक्ता मोबाइल न०- 7906489456
- श्री शैलेन्द्र जोशी, शोध अधिकारी/प्रवक्ता मोबाइल न०- 7055513072
- श्री मनोज कुमार पाठक, शोध अधिकारी/प्रवक्ता मोबाइल न०- 9456382382

अतः उपरोक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिशानिर्देशानुसार तत्काल आवश्यक अग्रतः कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक-उक्तवत्।

(डा० नीता तिवारी)

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)

पृ० सं०- उ०वि०शि०प०/शोध/अंक विभा०-प्रति०व्य०/ 238-247/2022-23 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड/सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, देहरादून।
3. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, कुमाऊँ, नैनीताल/गढ़वाल, पौड़ी।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) उत्तराखण्ड (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।
7. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।
8. समस्त संस्थाध्यक्ष उत्तराखण्ड (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।

(डा० नीता तिवारी)

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड

पत्रांक: उ०वि०शि०प०/शोध/हाई०-अंक विभा०/204-213 /2022-23 दिनांक 23 अगस्त, 2022
विषय: हाईस्कूल स्तर पर विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में इकाईवार अंकों का निर्धारण, आन्तरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट/प्रयोगात्मक भाग का निर्धारण, सतत मूल्यांकन तथा गृह व परिषदीय परीक्षाफल निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या: 512/XXIV-4/2022-01(01) 2016 T.C. दिनांक 05 जुलाई, 2022 द्वारा हाईस्कूल एवम् इण्टरमीडिएट स्तर पर प्रयोगात्मक व आन्तरिक मूल्यांकन वाले विषयों के अलावा अन्य समस्त विषयों में भी सैद्धान्तिक भाग के साथ-साथ आन्तरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट/प्रयोगात्मक भाग का प्रावधान कर दिया गया है तथा इण्टरमीडिएट स्तर पर प्रयोगात्मक विषयों के प्रयोगात्मक भाग के निर्धारित अंकों का बाह्य व आन्तरिक परीक्षक के मध्य 50-50 प्रतिशत अंकों का विभाजन कर दिया गया है।

उक्त प्रतिस्थापित व्यवस्था कक्षा 9, 10, 11 व 12 सभी कक्षाओं की परीक्षाओं (गृह व परिषदीय) में वर्तमान सत्र 2022-23 में ही तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गयी है।

प्रतिस्थापित व्यवस्था के अनुरूप हाईस्कूल स्तर पर विभिन्न विषयों के विषय विशेषज्ञों की संस्तुति के आधार पर सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम में इकाईवार अंकों का निर्धारण, आन्तरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट/प्रयोगात्मक भाग हेतु मूल्यांकन बिन्दुओं/मानकों/अंकों का निर्धारण तथा सतत मूल्यांकन सम्बन्धी निम्नवत् दिशानिर्देश आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्गत किये जा रहे हैं-

1. प्रतिस्थापित व्यवस्था के अनुरूप हाईस्कूल स्तर के विभिन्न विषयों में आन्तरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट/प्रयोगात्मक भाग का प्रावधान किये जाने के उपरान्त नवीन अंक व्यवस्था लागू हुयी है। विषयवार अंक विभाजन का विवरण निम्नवत् है-

S. No.	CODE	NAME OF THE SUBJECT	THEORY	PRACTICAL	PROJECT	INTERNAL ASSESSMENT (IA)	MAX. MARKS	MIN. PASSING MARKS
1	001	HINDI	80	—	—	20	100	33
2	004	URDU	80	—	—	20	100	33
3	005	PUNJABI	80	—	—	20	100	33
4	006	BENGALI	80	—	—	20	100	33
5	021	ENGLISH	80	—	—	20	100	33
6	028	SANSKRIT	80	—	—	20	100	33
7	031	MATHEMATICS	80	—	—	20	100	33
8	032	HOME SCIENCE (ONLY FOR GIRLS)	70	30	—	—	100	33
9	033	SCIENCE	80	—	—	20	100	33
10	034	SOCIAL SCIENCE	80	—	—	20	100	33
11	035	HINDUSTANI MUSIC VOCAL	30	50	—	20	100	33
12	036	HINDUST. MUSIC MELODIC INSTRU.	30	50	—	20	100	33
13	037	HINDUSTANI MUSIC PERCUS. INSTRU.	30	50	—	20	100	33
14	038	CARNATIC MUSIC VOCAL	30	50	—	20	100	33

S. No.	CODE	NAME OF THE SUBJECT	THEORY	PRACTICAL	PROJECT	INTERNAL ASSESSMENT (IA)	MAX. MARKS	MIN. PASSING MARKS
15	039	CARNATIC MUSIC MELODIC INSTRU.	30	50	—	20	100	33
16	040	CARNATIC I MUSIC PERCUS. INSTRU.	30	50	—	20	100	33
17	041	PAINTING	30	50	—	20	100	33
18	042	ELEMENTS OF BUSSINESS	70	30	—	—	100	33
19	043	ELE. OF BOOK KEEPING & ACCOUN.	70	—	30	—	100	33
20	044	TYPEWRITING ENGLISH OR HINDI	25	75	—	—	100	33
21	045	HOME SCIENCE	70	30	—	—	100	33
22	046	INFORMATION TECHNOLOGY	50	50	—	—	100	33
23	050	AGRICULTURE	50	50	—	—	100	33
24	052	IT-ITES	30	50	—	20	100	33
25	053	AUTOMOTIVE	30	50	—	20	100	33
26	054	RETAIL	30	50	—	20	100	33
27	057	TOURISM & HOSPITALITY	30	50	—	20	100	33
28	058	BEAUTY & WELLNESS	30	50	—	20	100	33
29	059	PHYSICAL EDUCATION	50	50	—	—	100	33
30	060	AGRICULTURE	30	50	—	20	100	33
31	061	ELECTRONIC & HARDWARE	30	50	—	20	100	33
32	062	MULTISKILLING	30	50	—	20	100	33
33	063	PLUMBER	30	50	—	20	100	33

- जिन अन्य विषयों में आन्तरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट/प्रयोगात्मक भाग का प्रावधान किया गया है उनके सैद्धान्तिक भाग के इकाईवार भारांकों का नवीन निर्धारण किया गया है, जिसका विवरण अनुलग्नक-1 पर वर्णित है। अन्य विषयों में इकाईवार भारांक पूर्व की भाँति यथावत् है।
- समस्त विषयों में पाठ्यक्रम पूर्व की भाँति यथावत् है।
- विभिन्न विषयों में आन्तरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट/प्रयोगात्मक भाग हेतु निर्धारित किये गये मूल्यांकन बिन्दुओं/मानकों तथा अंकों का विवरण अनुलग्नक-2 में विषयवार व कक्षावार दिया गया है।
- रचनात्मक आकलन (Formative Assessment) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कक्षा 9 से 12 तक गृह व परिषदीय परीक्षाओं में सतत मूल्यांकन का समावेश कर इकाई परीक्षाओं को महत्व प्रदान करते हुये विद्यार्थी के परीक्षाफल निर्माण में उसे स्थान दिया गया है।
- नई व्यवस्था के क्रम में हाईस्कूल स्तर (कक्षा 9 व 10) पर उत्तीर्णता मानदण्डों में भी परिवर्तन हुआ है, जिसके अनुसार वर्तमान सत्र 2022-23 से परीक्षार्थी को किसी भी विषय में सैद्धान्तिक तथा आन्तरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट/ प्रयोगात्मक भाग में कुल मिलाकर 33% अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा, किन्तु परीक्षार्थी को विषय के प्रत्येक भाग यथा सैद्धान्तिक, प्रयोगात्मक अथवा प्रोजेक्ट और/अथवा आन्तरिक मूल्यांकन भाग (जो भी लागू हों) में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना होगा।
- परीक्षार्थी को वार्षिक/परिषदीय परीक्षा में अधिकतम किन्हीं दो विषयों में अधिकतम 08 अंकों का कृपांक देय होगा। किसी विषय में नियमानुसार कृपांक तभी देय होगा जबकि उसके द्वारा सैद्धान्तिक, प्रयोगात्मक अथवा

प्रोजेक्ट और/अथवा आन्तरिक मूल्यांकन (जो भी लागू हो) भाग में कुल मिलाकर 25% अंक प्राप्त किये गये हों तथा समस्त विषयों के कुल प्राप्तांकों का योग न्यूनतम 33% हो।

8. गृह व परिषदीय परीक्षा के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों से सम्बन्धित दिशानिर्देश अनुलग्नक-3 में उल्लेखित हैं।
9. इकाई परीक्षा व प्रोन्नति सम्बन्धी आवश्यक दिशानिर्देश व नियम अनुलग्नक-4 में संलग्न हैं।
10. नई व्यवस्था के क्रम में परीक्षाफल से सम्बन्धित प्रगति विवरण पत्र का प्रारूप परिवर्तित हुआ है। सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रगति विवरण पत्र का कक्षावार प्रारूप अनुलग्नक-5 के रूप में संलग्न हैं।
11. उपरोक्त विषयक विस्तृत जानकारी परिषद् की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in के **CCE CORNER** पर भी उपलब्ध है। किसी भी पृच्छा हेतु परिषद् के निम्नांकित प्रवक्ताओं/शोध अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है-

- डा० नन्दन सिंह बिष्ट, प्रवक्ता/शोध अधिकारी मोबाइल न०- 7906489456
- श्री मनोज कुमार पाठक, प्रवक्ता/शोध अधिकारी मोबाइल न०- 9456382382
- श्री शैलेन्द्र जोशी, प्रवक्ता/शोध अधिकारी मोबाइल न०- 7055513072

अतः उपरोक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिशानिर्देशानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक-उक्तवत्।

भवदीय

(बी०एम०एस० रावत)

अपर सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्

रामनगर (नैनीताल)

पृ०सं०: उ०वि०शि०प०/शोध/हाई०-अंक विभा०/204-213 /2022-23 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मण्डलीय अपर निदेशक, कुमाऊँ, नैनीताल/गढ़वाल, पौड़ी।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) उत्तराखण्ड (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।
8. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।
9. समस्त संस्थाध्यक्ष उत्तराखण्ड (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।

(बी०एम०एस० रावत)

अपर सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्

रामनगर (नैनीताल)